

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2024-25 की दिनांक 08.01.2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सम्पन्न बैठक की अभिशंभा पर निम्नांकित उपायुक्तों को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	श्री जे.पी. मीणा	अजजा अनारक्षित पत्र के विरुद्ध	01.04.2024
2	श्री अखेदान चारण		01.04.2024
3	श्री विनोद मेहता		01.04.2024
4	श्री बलवन्त सिंह		31.08.2024
5	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़		01.09.2024
6	श्री महेश कुमार		18.09.2024

उपरोक्त अधिकारी (सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त) अपने वर्तमान पद पर, इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ रवि कुमार सुरपुर)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)